राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 35/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाड़ा,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ शासन सचिव स्वायत शासन विभाग शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 23-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री चन्द्र स्वरूप माथुर, सलाहकार उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 18-11-2016 के द्वारा माह नवम्बर, 2016 में कुल कितनी प्रथम अपील प्राप्त हुई, कितनी अपीलों को निपटाया गया, कितनी अपीलें निपटाने से बकाया रही सूचना अथवा उक्त माह के रजिस्टर की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 27-12-2016 से विनिश्चय से अवगत कराया गया है कि चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत देय नहीं है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 19-02-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 27-12-2016 एवं यूओ नोट दिनांक 13-12-2016 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थी ने बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। प्रत्यर्थी ने वांछित सूचना को प्रश्नात्मक माना जाकर अदेय होना बताया है। प्रत्यर्थी का विनिश्चय स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को वांछित सूचना

अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 10-08-2016 के अनुसार वांछित सूचना प्रपत्र 3 के अनुसार संधारित करने के आदेश दिये हुए है तथा वेबसाईड पर प्रदर्शित करने के लिए भी निर्देशित किया हुआ है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त